न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 30/2018 G.C.M.S. No. 2018/00412 दर्ज दिनांक : 10.07.2018

अपीलार्थिगण:

शशीबाला धर्मपत्नी जगनारायणसिंह आढा, जाति चारण, निवासी ऊड, तहसील व जिला सिरोही ।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. महेश कुमार पुत्र काकुमाई, जाति ब्राह्मण, निवासी पाडीव, तहसील व जिला सिरोही।
2. भरत कुमार पुत्र काकुभाई, जाति ब्राह्मण, निवासी पाडीव, तहसील व जिला सिरोही ।
3. जगदीश पुत्र काकुभाई, जाति ब्राह्मण, निवासी पाडीव, तहसील व जिला सिरोही।
4. ओबाराम पुत्र भुबाजी, जाति भील, निवासी ऊड, तहसील व जिला सिरोही।
5. प्रतापराम पुत्र भुबाजी, जाति भील, निवासी ऊड, तहसील व जिला सिरोही।
6. पंकु पुत्री भुबाजी, जाति भील, निवासी ऊड, तहसील व जिला सिरोही
7. गोरी पुत्री भुबाजी, जाति भील, निवासी ऊड, तहसील व जिला सिरोही ।
8. सकु पुत्री भुबाजी, जाति भील, निवासी ऊड, तहसील व जिला सिरोही ।
9. तीजा पुत्री भुबाजी, जाति भील, निवासी ऊड, तहसील व जिला सिरोही ।
10. दारमी पुत्री सोमाजी, जाति भील, निवासी ऊड, तहसील व जिला सिरोही।
11. सवाराम पुत्र वागाजी, जाति भील, निवासी ऊड, तहसील व जिला सिरोही।
12. मतरा पुत्री वागाजी, जाति भील, निवासी ऊड, तहसील व जिला सिरोही ।
13. सुबटी पत्नी वागाजी, जाति भील, निवासी ऊड, तहसील व जिला सिरोही।
14. दरजा पुत्र अमराजी, जाति भील, निवासी ऊड, तहसील व जिला सिरोही।
15. लादा पुत्र अमराजी, जाति भील, निवासी ऊड, तहसील व जिला सिरोही ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

16. सरूपा पुत्र अमराजी, जाति भील, निवासी ऊड, तहसील व जिला सिरोही के का. मु.

    16/1 नारायण पुत्र सरूपाजी, जाति भील, निवासी ऊड, तहसील व जिला सिरोही।'

17. सुरूची देवी पत्नी हरीशकुमारजी, जाति पुरोहित, निवासी मंडवाडा, तहसील व जिला सिरोही ।
18. जुहारमल गोदी पुत्र ओटाजी, जाति राजगर ब्राह्मण, निवासी ऊस, तहसील व जिला सिरोही।
19. खुशालचन्द पुत्र गोमाजी, जाति राजगर ब्राह्मण, निवासी ऊब, तहसील व जिला सिरोही ।
20. उकाराम पुत्र सवाजी, जाति राजगर ब्राह्मण, निवासी ऊब, तहसील व जिला सिरोही।
21. प्रकाशकुमार पुत्र सवाजी, जाति राजगर ब्राह्मण, निवासी ऊड, तहसील व जिला सिरोही।
22. नेनु पुत्री सवाजी, जाति राजगर ब्राह्मण, निवासी ऊब, तहसील व जिला सिरोही ।
23. पोनी पुत्री रावाजी, जाति राजगर ब्राह्मण, निवासी ऊड, तहसील व जिला सिरोही।
24. छगनी पुत्री सवाजी, जाति राजगर ब्राह्मण, निवासी ऊड, तहसील व जिला सिरोही ।
25. देवी पुत्री सवाजी, जाति राजगर ब्राह्मण, निवासी ऊब, तहसील व जिला सिरोही ।
26. चौथीबाई बेवापत्नी सवाजी, जाति राजगर ब्राह्ण, निवासी ऊड, तहसील व जिला सिरोही ।
27. राजस्थान राज्य, जरिये तहसीलदार साहब, सिरोही ।
28. काजल देवी पत्नी जबरारामजी, जाति पुरोहित, निवासी जैरण, जिला जालोर ।
29. नरसाराम पुरोहित पुत्र पूरारामजी पुरोहित, जाति पुरोहित, निवासी जैरण, जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी सिरोही द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 101/2014 बअनवान शशिबाला बनाम महेश कुमार में पारित आदेश दिनांक 01.05.2018

पैरोकारः–

1. श्री दिनेश कुमार सुराणा, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री प्रवीण कुमार छीपा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

निर्णय

दिनांकः 27.03.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी सिरोही द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 101/2014 बअनवान शशिबाला बनाम महेश कुमार में पारित आदेश दिनांक 01.05.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई, प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

विद्वान उपखण्ड अधिकारी महोदय सिरोही ने प्रार्थी /अपीलाण्ट के आवेदन अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारीज करने का आदेश पारित करने में गंभीर कानूनी एव तथ्यात्मक त्रुटी की है। विद्वान अधीनस्थ न्यायलाय ने प्रार्थी / अपीलाण्ट के आवेदन के साथ प्रस्तुत प्रलेखो का गहनता से न तो अवलोकन किया है नही उन पर नियमानुसार विचार किया है। जिससे निर्णय तक पहुँचने में त्रुटी हुई है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार सिरोही द्वारा प्रस्तुत जवाब को बिना किसी विवेचन के स्वीकार करने में भारी भुल की है। तहसीलदार स्वयं इस प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 27 है। जिससे वह पक्षकार होने से बिना सशपथ बयान के उनके कथन को स्वीकार करने में गंभीर त्रुटी हुई है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नही किया कि प्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा पटवार क्षेत्र पाडीव के खसरा सख्या 123, व 121 एंव गावं वाडाखेडा पटवार क्षेत्र गोल के खसरा संख्या 931, 938, 940 की भूमि में होकर 20 फीट चौडा आवागमन हेतु रास्ता मांगा है। जिसे दिये जाने में किसी भी पक्ष को कोई आपत्ती नहीं होते हुये केवल तहसीलदार के जवाब के आधार पर प्रार्थी/अपीलाण्ट के आवेदन को खारीज करने का निर्णय देने में गंभीर त्रुटी की है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नही किया की अपीलाण्ट द्वारा चाही गयी राहत अपीलाण्ट कृषक के लिये अति आवश्यक है एंव अपनी कृषि भूमि पर आवागमन के रास्ते के अभाव में अपीलाण्ट को कृषि कार्य में कठीनाई होते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने महिला कृषक को राहत नहीं देने में गंभीर त्रुटी की है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट / प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन मे दर्शाये तथ्यो एवं प्रलेखो पर गौर नही किया जिससे निर्णय अपास्त योग्य है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने नायब तहसीलद्वार सिरोही के मुंसरिम द्वारा तैयार किये गये नक्शे में जो मौका कमीशनर ने तैयार किया, पर गंभीरता से ध्यान नही दिया जबकि उस बाबत किसी भी पक्षकार को कोई आपत्ती नही थी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट व उसके अधिवक्ता को प्रकरण में सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया है। जिसके निर्णय अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलांट को अपनी कृषि भूमि पर खेती करने हेतु आने जाने हेतु बीस फीट चौड़ा रास्ता दिलाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व इन पर उपलब्ध दस्तावेजात व संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपनी खातेदारी कृषि भूमि वाडाखेड़ा के खसरा संख्या 902, 906 से 910, 914 से 919, 929, 930, 933, 934 कुल किता 16 रकबा 11.36 हैक्टर व खसरा संख्या 883, 896, 921, 923, 920 में आने जाने हेतु रेस्पोडेन्ट के खातेदारी भूमि मौजा पाडीव के खसरा संख्या 123, 121 एवं गाव वाडाखेडा के खसरा संख्या 931, 938, 940 में से रास्ता चाहा गया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र के अधार पर खसरा संख्या 935, 936, 947, 955, 956 के खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण अपीलांट का आवेदन आदेश दिनांक 01.05.2018 खारिज किया है। जिसके विरूद्ध अपीलांट प्रार्थी द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गयी।
2. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के अनुसार ***"अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया रास्ता खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना"*** के अन्तर्गत किसी आसामी को मार्गाधिकार की आत्यन्तिक आवश्यकता हो और यह केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं हो, और अन्य जोत में से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग में पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया हो, ऐसी स्थिति में आसामी रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी होगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय उक्त बिन्दुओं बाबत् कोई परीक्षण नहीं किया एव ना ही रास्ते हेतु अत्यान्तिक आवश्यकता अथवा वैकल्पिक रास्ते बाबत् कोई विवेचना अपीलाधीन आदेश में अंकित की गयी हो।
3. प्रार्थी द्वारा ग्राम पाडीव खसरा संख्या 121 व 123 तथा ग्राम वाडाखेडा के खसरा संख्या 931, 938 व 940 में से रास्ते की मांग की गयी। प्रकरण में तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरान में से मांगा गया रास्ता लंबा होने तथा खसरा संख्या 935, 936, 947, 955, 956 में से निकटतम दुरी का विकल्प संभावित होना दर्शित किए जाने तथा उक्त खसरान के खातेदार प्रकरण में बतौर अप्रार्थी संयोजित नही होने के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को पोषणीय नहीं मानते हुए अस्वीकार किया गया है। हमारे विनम्र में विद्वान विचारण न्यायालय के लिए यह आज्ञापक था कि वह प्रकरण में प्रार्थी को संबधित प्रभावित आराजीयात के खातेदारान को बतौर अप्रार्थी संयोजित किए जाने हेतु अवसर दिया जाता तथा इस बाबत प्रार्थी को न्यायालय द्वारा निर्देशित किया जाता है तथा इसके बावजूद यदि प्रार्थी द्वारा प्रभावित

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आराजियात के खातेदार को पक्षकार संयोजित नहीं किया जाता तो प्रार्थना पत्र खारिज किया जा सकता था, लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इसकी अनुपालना नहीं करते हुए अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो विधिसम्मत नहीं होने से पुष्टि योग्य नही है।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय लोक अदालत कैम्प कोर्ट में निर्णीत किया है। लोक अदालत के माध्यम से केवल ऐसे प्रकरणों का ही निस्तारण किया जा सकता है, जिसमें उभयपक्ष सहमत हों तथा उभयपक्ष द्वारा राजीनामा निष्पादित कर प्रस्तुत किया जावें, लेकिन हस्तगत प्रकरण में न तो उभयपक्ष द्वारा कोई राजीनामा प्रस्तुत किया गया एवं न ही उभयपक्ष द्वारा लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण के निस्तारण की कोई सहमति दी गई।
5. प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर.सी.आर. सिविल 2006 (4) पेज 947 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20 के अंतर्गत लोक अदालत के द्वारा मुकदमों के निस्तारण की शक्तियों के संबंध में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है– **" No Order can be passed by Lok Adalat if no compromised or settlement of could at between Parties."** इस प्रकार यह सुस्थापित प्रावधान है कि पक्षकारों के मध्य बिना सहमति हुए एवं बिना राजीनामा हुए किसी भी प्रकरण को न तो लोक अदालत में रखा जा सकता है एवं न ही लोक अदालत में निर्णित किया जा सकता है, ऐसा किया जाना पक्षकारों के मध्य न्यायिक जबरदस्ती की श्रेणी में आता है, जिसका किसी भी दृष्टि में समर्थन नहीं किया जा सकता है।
6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों की बिना सहमति एवं बिना राजीनामा हुए प्रकरण को लोक अदालत कैम्प में रखकर अविधिक रूप से निस्तारित करने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त करते हुए प्रकरण विधिनुरूप निर्णयन के लिए अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसंगत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी सिरोही द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 101/2014 बअनवान शशिबाला बनाम महेश कुमार में पारित आदेश दिनांक 01.05.2018 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में प्रभावित आराजीयात खसरा संख्या 935, 936, 947, 955, 956 के खातेदारान को पक्षकार संयोजित करने के लिए प्रार्थिगण को अवसर प्रदान करते हुए पक्षकारान् को सुनवाई का समूचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में धारा 251क एवं नियम 69 व 70 के आज्ञापक विधिक प्रावधानो की अनुपालना करते हुए प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 18.06.2026 को असालतन/वकालतन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रेवदर में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली